न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –92/2019 (अपील)

1. सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. हरिशंकर पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवासी म0नं0 770 सेक्टर नं0 04 केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामातकरण संख्या 118 आदेश दिनांक 27.1.2012 ग्राम उम्मेदगंज तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

श्री पदम गौत्तम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 118 ग्राम उम्मेदगंज में दिनांक 27.01.2012 को आदेश पारित किया कि–" मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, जांच भू.अ.निरीक्षक एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामा0 स्वीकृत किया गया । " किन्तु मूल खातेदार हीरा पुत्र स्व. नन्दा जाति भील निवासी उम्मेदगंज द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 12.1.2012 को निरस्त कराने बाबत एक वाद माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 , कोटा में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 40/2013 निर्णय दिनांक 19.3.2019 से उक्त विक्रय पत्र निरस्त किया जाने से पुनः ग्राम उम्मेदगंज की आराजी ख0 नं0 217 रकबा 0.42 हे0 आराजी का नामान्तकरण सं0 118 जो तस्दीक हुआ को निरस्त कर भूमि पूर्वतः पूर्व खातेदार के नाम दर्ज किये जाने अपील पेश की गई है ।
2. तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 13.11.2019 को अपील पेश कर कथन किया कि पटवार मण्डल रायपुरा के ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा कोटा में नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 27.1.2012 से भूमि ख0नं0 217 रकबा 0.42 हे0 भूमि खातेदार हीरा पुत्र नन्दा जाति भील की आराजी तथाकथित मुख्तार आम से उक्त आराजी क्रय की जिसका पंजीयन विक्रय पत्र रजिस्टर पुस्तक सं0 1108 पृष्ट सं0 149 क्रम सं0 2012000237 से पंजीयन

Scanned by CamScanner

कार्यालय से पंजीबद्व है के आधार पर उक्त इन्तकाल रेस्पो0 द्वारा अपने नाम खुलवाकर उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली । उक्त तथाकथित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु हीरा पुत्र नन्दा जाति भील निवासी उम्मेंदगंज तहसील लाडपुरा कोटा द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में वाद पेश किया उक्त वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश कम 3 कोटा के न्यायालय में हस्तान्तरित हुआ तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दौनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 19.3.2019 को रेस्पो0 के पक्ष में विक्रय पत्र आलेखित करवाया गया था को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 3 कोटा द्वारा हीरा के अधिकारों के विरूद्व अवैध अप्रवर्तनीय प्रभावहीन एवं नल एन्ड वॉयड घोषित कर दिया गया है । इस प्रकार उक्त आराजी का अब एक मात्र खातेदार हीरा रहा है । हीरा आत्मज स्व0 नंन्दा जाति भील निवासी ग्राम उम्मेदगंज द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.3.2019 के साथ एक प्रार्थना पत्र तहसील में पेश कर निवेदन किया गया है, उक्त आराजी प्रार्थी के नाम खाता दर्ज की जावें । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें उक्त कथन की पूर्ण ताईद होती है । चूंकि नामान्तकरण तहसील के आदेश से तस्दीक किया गया है इतनी लम्बी अवधि बाद उक्त नामान्ताकरण को निरस्त करने व पूर्व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को होने से उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा की आराजी ख0नं0 217 रकबा 0.42 हे0 आराजी का नामान्तकरण सं0 118 जो तस्दीक किया हुआ को निरस्त कर भूमि पूर्ववत पूर्व खतेदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि पटवार मण्डल रायपुरा के ग्रम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा कोटा में नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 27.1.2012 से भूमि ख0नं0 217 रकबा 0.42 हे0 भूमि खातेदार हीरा पुत्र नन्दा जाति भील की आराजी तथाकथित मुख्तार आम से उक्त आराजी क्रय की जिसका पंजीयन विक्रय पत्र रजिस्टर पुस्तक सं0 1108 पृष्ट सं0 149 कम सं0 2012000237 से पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्व है के आधार पर उक्त इन्तकाल रेस्पो0 द्वारा अपने नाम खुलवाकर उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली । उक्त तथाकथित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु हीरा पुत्र नन्दा जाति भील निवासी उम्मेंदगंज तहसील लाडपुरा कोटा द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में वाद पेश किया उक्त वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश कम 3 कोटा के न्यायालय में हस्तान्तरित हुआ तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दौनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 19.3.2019 को रेस्पो0 के पक्ष में विक्रय पत्र आलेखित करवाया गया था को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 3 कोटा द्वारा हीरा के अधिकारों के विरूद्व अवैध अप्रवर्तनीय प्रभावहीन एवं

Scanned by CamScanner

नल एन्ड वॉयड घोषित कर दिया गया है । इस प्रकार उक्त आराजी का अब एक मात्र खातेदार हीरा रहा है । चूंकि नामान्तकरण तहसील के आदेश से तस्दीक किया गया है इतनी लम्बी अवधि बाद उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने व पूर्व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को होने से उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा की आराजी ख0नं0 217 रकबा 0.42 हे0 आराजी का नामान्तकरण सं0 118 जो तस्दीक किया हुआ को निरस्त कर भूमि पूर्ववत पूर्व खातेदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के विरोध में ऐसा कोई कथन एवं ठोस आधार पेश नहीं किया गया जिससे अपील जा सकें ।
6. हमने अपीलांट की बहस सुनी,व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा0 सं0 118 ग्राम उम्मेदगंज दिनांक 27.1.2012 विक्रय पत्र सं0 2012000237 12.1.2012 की अनुपालना में केता हरीशंकर पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा के पक्ष में खोला गया किन्तु उक्त विक्रय पत्र को सक्षम स्तर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम–3 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अब यह विक्रय पत्र प्रभावहीन होने से पूर्व का नामा0 सं0 118 दिनांक 27.1.2012 स्वतः ही खारिज योग्य हो जाता है ।
7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि पूर्व नामा0 सं0 118 ग्राम उम्मेदगंज दिनांक 27.1.2012 निरस्त किया जाकर पुनः भूमि पूर्ववत मूल खातेदार के नाम दर्ज की जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner